ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177020
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अमरोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति स्नेहलता	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मनोहर लाल	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में अंतर का समाधान न करना	21.62
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	36.63
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.22
4	7.2	रसीदों से प्राप्त आय का दुर्विनियोजन	0.02
5	7.3	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना	6.24
6	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	1.35
7	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.07
8	9.1	मनरेगा शीर्ष व 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित एवं पारदर्शी लेखांकन के अभाव में सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग	0.19
9	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.02
10	9.3	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.23
11	9.4	15वें वित्तायोग के अंतर्गत सामान के क्रय हेतु बिना बिलों के भुगतान करना	0.43
12	9.5	पंचायत पदाधिकारियों को अनुचित भुगतान करना	0.08

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जो कि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	5.2	अनिर्णीत	
2	6	अनिर्णीत	
3	8 (1, 2)	अनिर्णीत	
4	9	अनिर्णीत	
5	10	अनिर्णीत	
6	11	अनिर्णीत	
7	12	अनिर्णीत	
8	13	अनिर्णीत	
9	14	अनिर्णीत	
10	15	अनिर्णीत	
11	16	अनिर्णीत	
12	17	अनिर्णीत	
13	18	अनिर्णीत	
14	19	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹5800/- डिमांड ड्राफ्ट संख्या KAA188571 दिनांक 24.08.2023 के अवलोकन तथा रोकड़ बही और बैंक पास बुक की पुष्टि उपरांत
2	4	निर्णीत	वित्तीय स्थिति में शून्य अन्तर के दृष्टिगत
3	5	अनिर्णीत	
4	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
5	7	अनिर्णीत	
6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11	अनिर्णीत	
10	12	अनिर्णीत	
11	13	अनिर्णीत	
12	14	अनिर्णीत	
13	15	अनिर्णीत	
14	16	अनिर्णीत	
15	17	अनिर्णीत	
16	18	अनिर्णीत	
17	19	अनिर्णीत	
18	20	अनिर्णीत	

19	21	अनिर्णीत	
20	22	अनिर्णीत	
21	23	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2025 से 21.06.2025 तक ग्राम पंचायत अमरोह, के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	08/2024	03/2025

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109/2025 दिनांक 21/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा **काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित, हमीरपुर के DD NO – KAA 403592 दिनांक**

05.07.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनांक 17.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (3) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग), 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग (2+3)**	**व्यय**	**अंतिम शेष (4-5)**
1	2	3	4	5	7
2024-25	3801233.51	1962077.28	5763310.79	2100635.56	**3662675.23**

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग (2+3)**	**व्यय**	**अंतिम शेष (4-5)**
1	2	3	4	5	7
2024-25	1882419.00	1122226.00	3004645.00	1151165.00	**1853480.00**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत व अनुदान	2024-25	3801233.51	420161.72	4221395.23	558720.00	**3662675.23**
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1882419.00	1122226.00	3004645.00	1151165.00	**1853480.00**
मनरेगा	2024-25	0.00	1541915.00	1541915.00	1541915.00	**0.00**
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	5683652.51	3084303.28	8767955.79	3251800.56	**5516155.23**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005024530	387746.00
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005056595	477609.00
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	हि० प्र० ग्रा० बैंक अमरोह	88520100004763	1178.42
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100206501131	9629.60
5	15 वें वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046570	1853480.00
कुल योग				**2729643.02**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	5516155.23
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2729643.02
अन्तर		**2786512.21**

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	3662675.23
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1853480.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	5516155.23
4	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)**	**624427.00**
5	**दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (घटाव)**	**2162085.21**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	2729643.02
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2729643.02
	अंतर	**0.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में ₹21.62 लाख के भारी अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलंग्न **परिशिष्ट-1.2** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹2162085.21** का अंतर पाया गया, जोकि पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अन्यथा असमर्थित अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(5) स्वः स्त्रोत निधि के लिए अलग से रोकड़ बही व बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के स्व: स्त्रोत खाता (क) (स्व: स्त्रोत के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा न तो स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही को अलग से संधारित किया गया था और न ही स्व: स्त्रोत (क) के बैंक खाते में अनुदानों के आय व व्यय की प्रविष्टियों को अलग किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनाँक 21.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने बारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्व: स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को अलग से संधारित कर लिया जाएगा तथा स्व: स्त्रोत (क) का बैंक खाता अलग से संधारित है, परंतु उसमे कार्यालय व्यय व वेतन अनुदान राशि का भी लेन-देन व्यवहार में है।

अत: विभिन्न अनुदानों के शामिल होने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका तथा भविष्य में स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्व: स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन-देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है |

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹36.63 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **राशि ₹3662675.23** उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है" |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है"। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं

तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में ही अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु राशि ₹0.22 लाख शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनाँक 17.06.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर **राशि ₹22050.00** वसूली हेतु शेष थी।

उक्त शेष राशि से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। अतः अंकेक्षणावधि के दौरान सम्पत्तिकर बकाया की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 रसीदों से प्राप्त राशि ₹0.02 लाख का दुर्विनियोजन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमानुसार 2002 के नियम 6(3) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त राशियों को बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** अनुसार **राशि ₹1700.00** की प्राप्त राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और न ही बैंक में जमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप उक्त राशि का दुर्विनियोजन किए जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज व बैंक में जमा करवाकर अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः रसीदों से प्राप्त आय राशि को रोकड़ बही व बैंक में दर्ज और जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त राशि का रोकड़ बही में लेखाकन करके बैंक में जमा उपरांत शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाए जाये।

7.3 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि ₹6.24 लाख रखना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल राशि ₹1000 तक की राशि को इम्प्रेस्ट रूप में रखना अपेक्षित है"।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक **राशि ₹ 624427.00** को हस्तगत रखा गया था, जो कि नियमों के विपरीत होने के दृष्टिगत गम्भीर आपत्तिजनक है।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में निर्धारित राशि से अधिक राशि को हस्तगत नहीं रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित राशि से अधिक हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाए जाये।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹1.35 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 4** अनुसार नियम प्रावधानों एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध **राशि ₹134672.00** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु सलंग्न **परिशिष्ट - 5** अनुसार **राशि ₹326952** (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹6539.04** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नही की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष व 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.19 लाख की जारी सामग्री के उचित एवं पारदर्शी लेखाकंन के अभाव में सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव निधि से व्यय

उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उतरदायी होगा" ।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि मनरेगा शीर्ष व 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार **राशि ₹19100.00** बजरी व सीमेंट के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में दर्शाई गई खपत मात्रा से अधिक मात्रा की खपत/जारी दर्शा कर अर्थात सामग्री के पारदर्शी एवं उचित लेखांकन के अभाव में निर्माण सामग्री के दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सडकों एवं भवनों के लिए सामग्री सम्बन्धी अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (Boulder) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार राशि ₹14233.00 का कुल भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व

रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹1779.12** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (Boulder) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की सत्यापना एवं नमूना जांच नियमानुसार सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 राशि ₹0.23 लाख की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान चयनित मास 03/2025 में सलंग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार पंचायत द्वारा राशि ₹23588.00 की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 15वें वित्तायोग के अंतर्गत कार्य हेतु बिना बिलों के राशि ₹0.43 लाख भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48 और 61 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के भुगतान की मांग बिलों पर ही पेश की जानी निर्धारित है तथा लेखों का सही वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वाउचर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है " ।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 15वें वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत सलंग्न **परिशिष्ट-9** अनुसार **राशि ₹61875.00** का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता हिम ऊर्जा हमीरपुर को किया गया लेकिन व्यय वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि भुगतान के संदर्भ में न तो आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त किये गए थे, न ही भुगतान प्राप्ति की रसीद ली गई थी और न ही आपूर्तिकर्ता द्वारा सोलर लाइटों की आपूर्ति ग्राम पंचायत को अंकेक्षण समाप्ति तक की गई थी जिससे यह अनियमित भुगतान प्रतीत होता है।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21/06/2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना बिलों के भुगतान के बिलों को लेकर अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः बिना बिलों के आपूर्तिकर्ता को अदायगी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.5 पंचायत पदाधिकारियों को राशि ₹0.08 का अनुचित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे, वित्त नियम 62 (2) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के सदस्य को यदि वह ग्राम पंचायत की बैठक से प्रवरित/अनुपस्थित रहता है, बैठक फीस नहीं दी जाएगी" तथा सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।"

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान व्यय वाउचरों की जांच व कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को माह में दो बार होने वाली बैठक में मौजूदा अनुपस्थिति के होते हुये भी नियमों के विपरीत **राशि ₹7500.00** का भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2025 दिनांक 21.06.25 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव पत्र संख्या 21/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में वार्ड सदस्यों की अनुपस्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्रम संख्या	**वार्ड सदस्य का नाम**	**कार्रवाई रजिस्टर के अनुसार बैठक की दिनांक**	**कुल अनुपस्थित दिनों की संख्या**	**प्रति बैठक भुगतान दर**	**राशि (₹)**
1	श्री मति सरला देवी	05.06.2024 06.08.2024 21.08.2024 05.10.2024 26.10.2024 07.11.2024	06	750/-	4500.00
2	श्री सुरेंदर कुमार	20.07.2024	01	750/-	750.00
3	श्री मति अमृता देवी	26.10.2024	01	750/-	750.00
4	श्री मति कुसुम लता	07.11.2024	01	750/-	750.00
5	श्री रमेश कुमार	20.12.2024	01	750/-	750.00
		Total			**7500.00**

अत: ग्राम पंचायत द्वारा पदाधिकारियों को माह की बैठकों की अनुपस्थिति के लिए किए गए भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाए जाये।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**प्रारूप संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनांक 17.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र 21 दिनांक 21/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2025 दिनांक 17.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 21/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 लघु आपत्ति विवरणिका:-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

07 AUG 2025

का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

5281–5285

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6)63/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 AUG 2025

का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान 15वें वित्तायोग (सहित)	5683652.51	1542387.72	7226040.23	1709885.00	5516155.23
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान 15वें वित्तायोग (रहित)	3801233.51	420161.72	4221395.23	558720.00	3662675.23
3	15 वें वितायोग	1882419.00	1122226.00	3004645.00	1151165.00	1853480.00
4	मनरेगा	0.00	1541915.56	1541915.56	1541915.56	0.00
संकलित वित्तीय स्थिति (1+4)		5683652.51	3084303.28	8767955.79	3251800.56	5516155.23

कुल अंतर	2786512.21
हस्तगत राशि	624427.00
असमायोजित अंतर	2162085.21

Saneh lata
Pardhan
Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/25

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005024530	387746	876163.02
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक हमीरपुर	20005056595	477609	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	हि० प्र० ग्रा० बैंक अमरोह	88520100004763	1178.42	
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100206501131	9629.6	
5	15 वें वितायोग	आई डी बी आई बैंक हमीरपुर	1038104000046570		1853480.00
कुल योग					2729643.02

Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
19/6/25

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित		
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177020		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	5516155.23
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2729643.02
अन्तर		**2786512.21**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	3662675.23
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1853480
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	5516155.23
4	**दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)**	**624427**
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	4891728.23
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2729643.02
7.	दिनांक 31.03.25 को अंतर (असमायोजित राशि)	**2162085.21**

Saneh lata
Pardhan Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/25

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	1950	602	50	30100	32050	10000	**22050**

Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
19/6/25

२५

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही व बैंक में जमा न करना :-

क्रमांक	रसीद संख्या	मद	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज कुल राशि	अंतर
1	62101-62193	गृहकर	4650	दिनांक 29.03.25	1700
2	62301-62400	गृहकर	5000		
3	61072-61073	जन्म प्रमाण पत्र,सूचना हेतु	30		
कुल योग			**9680**	**7980**	

Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

19/6/25

(25)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे
(01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	Mnrega	C/O P/Wall near the house of Sarwan Kumar S/O Chetu Ram Village Chalad	47	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	5.66	14000
					Sand	5.66	
2	Mnrega	C/O P/Wall Near the house of Prittam Chand S/O Chetu Ram Village Chalad	48	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	5.66	12600
					Sand	3.4	
3	Mnrega	C/O P/Wall near the house of Kashmir Singh S/O Paras Ram Village Chigar	46	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	5.66	14233
					Sand	4.35	
4	Mnrega	C/O P/Wall Near the house of Vinod Kumar Village Chabbot Brahmna	45	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	5.66	12910
					Sand	3.45	
5	Mnrega	C/O Drain near the house of Kanshi Ram Village Banal	13	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	10.5	16042
					Sand	4	
6	Mnrega	C/O P/Wall Near the house Of Vipan Kumar Village Badhiana	51	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Majhot The.Nadaun	Aggregate	6.25	17504
					Sand	4.53	
7	GIA Planning	R/O Path and P/Wall near the Kishor Chand Urf Banshi Ram Village Kohal	11	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	9.4	20369
					Sand	5	
8	GIA Planning	C/O S.Marg and Retaining/Wall Near the house of Sarwan Kumar S/O Chetu Ram Village Chalad	18	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Aggregate	12.5	27014
					Sand	6.6	
Total							134672

Saneh Lata
Pardhan
Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

20/6/25

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Ashwani Kumar Village Chabbot Girtha P.O Amroh The and Distt Hamirpur	Sand ,Aggregate	326952	6539.04
कुल योग					**6539.04**

Saneh lata
Pardhan
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Secretary
20/6/25

29

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण तलाई नजदीक ग्राम पंचायत अमरोह।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -286000/-				
कुल खर्च राशि - **171000/-**				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**सीमेंट**
MB-10340 81,88,89	1:3:6	17.6	4.40	77.44
कुल योग				**77.44**
बिल संख्या-CS087-23-0312107, के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				86
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री (लगभग)				8
क्रय दर				356.46
अधिक भुगतान राशि				2851.68
कुल योग				**2852/-**

2. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण नाली कांशी राम के घर के पास।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि - 50,000/-				
कुल खर्च राशि - 44246/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रूपांतरण कारक**	**बजरी**
MB-10340 81,88,89	1:3:6 1:4:8	13.59 15.3	0.94 0.89	26.38
कुल योग				**26.38**
बिल संख्या-13,33 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				28.5
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				2.12
क्रय दर				1044
अधिक भुगतान राशि				2213.28
कुल योग				**2213/-**

30

Seneh lata
Pardhan Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/15

3. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण पेवरऑगन, नाली के साथ ग्राम पंचायत अमरोह के भवन के आगे ।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -300000/-				
कुल खर्च राशि - 261000 /-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट
MB-10340,206 32,100,5,6,41,57,58, 82,83,	1:2:4 1:3:6 1:4:8	3.38 2.61 9.29	6.40=21.63 4.40 =11.48 3.40=31.58	64.69
कुल योग				**64.69**
बिल संख्या-0123808,0630466 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				82
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री (लगभग)				17
क्रय दर				356.46
अधिक भुगतान राशि				6059.82
कुल योग				**6060/-**

Sanch Lata
Pardhan
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Secretary
20/6/25

4. निर्माण कार्य का नाम :-निर्माण पेवर सड़क मिलाप चंद की दुकान से संदीप कुमार के घर तक ।					
निधि का नाम -15वां वित्तायोग					
स्वीकृत राशि -300000/-					
कुल खर्च राशि - 280000 /-					
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत	बजरी
MB-10340 94-96	1:3:6 1:4:8 सुरक्षा दीवार पेवर ब्लॉक	1.75 4.74 7.66 161.70	0.47 & 0.89 0.50	14.73	12.59
कुल योग				**14.73**	**12.59**
बिल संख्या- 79, के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				16	17
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.270	4.410
क्रय दर				1470	1385
अधिक भुगतान राशि				1866.90	6107.00
योग				**7974.75**	
कुल योग				**7975/-**	

Saneh lata
Pardhan Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/25

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	Mnrega	C/O Paver with drain infront of Gram Panchayat Amroh	39,44	Rajesh Kumar Govt.Contractor Village Manjhot P.O Balduhak	Stone	11.9	14233	12.5	1779.125
Total							14233	12.5	1779.125

Sneh Lata
Pardhan
Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/25

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर						
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय						
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o cattle shed land of manoj kumr s/o bhandari ram village chabbot brahmna	2261,2343 24.10.24	ajay kumar and co. near rto office bhota chowk, hamirpur	GI sheet and iron	22400.00
2	MNREGA	C/o Drain near house of kanshi ram vill banal	13 24.10.24	Rajesh kumar, vill manjhot, hamirpur	cement carriage	1188.00
Total						**23588.00**

Senehlata

Pardhan
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

Secretary

20/6/25

(32)

परिशिष्ट 9 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर					
बिना बिल के किया गया भुगतान					
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउ० सं०/ दिनांक	कार्य का नाम	संस्था का नाम	राशि (₹)
1	15th FC	55,56,57,58,59 28.03.2025	solar light installation by GP Amroh	Himurja Hamirpur	61875.00
Total					**61875.00**

Pardhan Secretary
Gram Panchayat Amroh
Development Block Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)
20/6/25

35